आयुक्त एवं निदेशक उद्योग
(ओ०डी०ओ०पी० प्रकोष्ठ) उत्तर प्रदेश
निर्यात भवन, प्रथम तल, 8-कैंट रोड, कैसरबाग़, लखनऊ-226001
टेली/फैक्स: 0522-2616313 /e-mail: odopcell@gmail.com /Website: http//www.odopup.in

---

पत्रांक:- 289 /ओ०डी०ओ०पी० प्रकोष्ठ ल०/प्र०एवं टू०किट/2019-20 19-8-2019

समस्त उपायुक्त उद्योग
जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केंद्र
उत्तर प्रदेश

विषय :- एक जनपद एक उत्पाद कार्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षण एवं टूलकिट प्रदान किये जाने हेतु संशोधित दिशा-निर्देश

शासनादेश संख्या 123/18-4-2018-18 (विविध)/17 टी०सी० दिनांक 25 जनवरी 2018 के बिंदु संख्या-5 में वर्णित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु एक जनपद एक उत्पाद कार्यक्रम के अंतर्गत जनपद विशेष हेतु चिन्हित उत्पाद से सम्बंधित सामान्य तकनीकि प्रशिक्षण, क्राफ्ट की बेसिक एवं एडवांस ट्रेनिंग एवं उद्यमिता विकास प्रशिक्षण विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से प्रदान किया जाना है | इस सम्बन्ध में निदेशालय के पत्र सं० 497/ओ०डी०ओ०पी० प्रकोष्ठ ल०/2018-19, दिनांक 13 फरवरी 2019 को निर्देश निर्गत किये गए थे | उक्त निर्देशों के प्रशिक्षण सम्बन्धी कतिपय प्राविधानों में संशोधन किये गए हैं |

इस क्रम में प्रशिक्षण एवं टूल किट वितरण सम्बन्धी संशोधित दिशा- निर्देश संलग्न करते हुए निर्देशित किया जाता है कि पात्र प्रशिक्षार्थियों का तत्काल चयन करना सुनिश्चित करें | टूलकिट क्रय करने में क्रय प्रक्रिया से सम्बंधित वित्तीय नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए |

संलग्न : एक जनपद एक उत्पाद कार्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षण एवं टूलकिट प्रदान किये जाने विषयक संशोधित दिशा-निर्देश |

(गौरव दयाल)
आयुक्त एवं निदेशक उद्योग
उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय
ओ०डी०ओ०पी० सेल, लखनऊ

पृष्ठांकन सं० 289 /तद्दिनांक 19.8.2019
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :
1-प्रमुख सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन अनुभाग-4, उ०प्र० शासन, लखनऊ |
2-समस्त अपर /संयुक्त आयुक्त उद्योग, परिक्षेत्रीय उद्योग कार्यालय, उ०प्र०|
3-अपर आयुक्त उद्योग, हस्तकला अनुभाग-13, उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय, उ०प्र०,कानपुर |
4-सम्बंधित प्रशिक्षणदायी संस्था को इस निर्देश के साथ कि सम्बंधित उपायुक्त उद्योग से संपर्क कर प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारम्भ करना सुनिश्चित करें |

आयुक्त एवं निदेशक उद्योग

Scanned by CamScanner

एक जनपद एक उत्पाद कार्यक्रम के अंतर्गत दक्षता/कौशल विकास प्रशिक्षण एवं सामान्य उद्यमिता विकास प्रशिक्षण प्रदान करने एवं टूलकिट वितरण किये जाने हेतु दिशा-निर्देश।

1- उद्देश्य :

एक जनपद एक उत्पाद कार्यक्रम के अंतर्गत जनपद विशेष हेतु चिन्हित उत्पाद से सम्बन्धी सामान्य तकनीकी प्रशिक्षण, क्राफ्ट की बेसिक एवं एडवांस्ड ट्रेनिंग एवं उद्यमिता विकास प्रशिक्षण विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से प्रदान कराने हेतु शासनादेश दिनांक 25 जनवरी, 2018 के बिंदु संख्या- 5 में वर्णित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु दक्षता/ कौशल विकास प्रशिक्षण एवं सामान्य उद्यमिता विकास प्रशिक्षण प्रदान करना।

2- प्रशिक्षार्थी की पात्रता :

(1) आवेदन करने की तिथि को प्रशिक्षार्थी की आयु कम से कम 18 वर्ष की होनी चाहिए।

(2) प्रशिक्षार्थी को उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।

(3) शैक्षिक योग्यता की कोई बाध्यता नहीं होगी।

(4) आवेदक द्वारा भारत अथवा प्रदेश सरकार की अन्य किसी योजनान्तर्गत उत्पाद से सम्बंधित टूलकिट का लाभ विगत 02 वर्षों में प्राप्त नहीं किया हो।

(5) आवेदक अथवा उसके परिवार के किसी सदस्य को योजनान्तर्गत केवल एक बार ही लाभान्वित किया जाएगा। परिवार का आशय पति एवं पत्नी से है।

(6) आवेदक द्वारा पात्रता की शर्तों को पूर्ण किये जाने के सम्बन्ध में घोषणा पत्र प्रस्तुत किया जाएगा।

3- चयन की प्रक्रिया :

(1) आवेदक द्वारा निर्धारित प्रारूप पर सम्बंधित जनपद के उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहान केंद्र के कार्यालय में आवेदन पत्र जमा करना होगा। आवेदन के साथ समस्त आवश्यक प्रपत्र संलग्न किये जायेंगी।

(2) प्रशिक्षणार्थियों का चयन निम्नानुसार गठित चयन समिति द्वारा किया जाएगा :

1- उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केंद्र (अध्यक्ष)

2-ODOP उत्पाद से जुड़े विभाग का जनपद स्तर का अधिकारी अथवा उक्त अधिकारी के जनपद में उपलब्ध न होने की स्थिति में ज़िला खादी एवं ग्रामोद्योग अधिकारी (सदस्य)

3- जनपद समन्वयक, कौशल विकास मिशन (सदस्य)

19/8/17

Scanned by CamScanner

4- प्रधानाचार्य, आई० टी० आई० (सदस्य)

5- उपायुक्त उद्योग द्वारा नामित ओ० डी० ओ० पी० उत्पाद से सम्बंधित जनपद के 2 विशिष्ठ उद्यमी

4- प्रशिक्षण के सम्बन्ध में निर्देश :

(1) उत्तरप्रदेश कौशल विकास मिशन, उत्तरप्रदेश डिजाईन संस्थान (UPID), उद्यमिता विकास संस्थान, आई०टी०आई०, पॉलिटेक्निक एवं भारत सरकार अथवा प्रदेश सरकार से मान्यता प्राप्त ऐसी संस्थायें जो इस प्रकार के प्रशिक्षण प्रदान करती हों , प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु पात्र होंगी |

(2) योजनान्तर्गत चयनित व्यक्तियों को कुल 10 दिनों का कौशल एवं उद्यमिता विकास का प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा |

(3) जिन ODOP उत्पादों की विधाओं हेतु उत्पाद से सम्बंधित Sector Skill Council द्वारा QP(Qualification Packs) विकसित किये जा चुके हैं , उन उत्पादों हेतु 05 दिनों का ब्रिज कोर्स करवाते हुए कौशल प्रशिक्षण एवं 05 दिनों का उद्यमिता विकास प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा |कौशल विकास प्रशिक्षण प्राप्त हस्तशिल्पियों/कारीगरों/उद्यमियों को प्रशिक्षणदायी संस्था द्वारा RPL (Recognition of Prior Learning) के अंतर्गत assessment करवाते हुए प्रमाणीकरण किया जाएगा |

(4) जिन उत्पादों हेतु QP(Qualification Packs) अभी विकसित नहीं हैं , उन जनपदों में हस्तशिल्पियों/कारीगरों/उद्यमियों को 05 दिवस का सामान्य कौशल विकास प्रशिक्षण एवं 05 दिनों का उद्यमिता विकास प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा | भविष्य के लिए इन जनपदों के उत्पादों हेतु QP(Qualification Packs) विकसित किये जाने काप्रयास सम्बंधित Sector Skill Councilके माध्यम से किया जाएगा

(5) प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु संस्थाओं का चयन आयुक्त एवं निदेशक उद्योग द्वारा किया जाएगा |

(6) प्रति बैच अधिकतम 25 प्रशिक्षार्थी होंगे |

(7) प्रशिक्षण कार्यक्रम निशुल्क एवं आवासीय होगा |

(8) प्रशिक्षार्थी को प्रतिदिन रु० 200 मानदेय के रूप में दिया जाएगा | प्रशिक्षणदायी संस्था द्वारा प्रशिक्षण के सम्बन्ध में उपायुक्त उद्योग की संतुष्टि के पश्चात प्रशिक्षार्थियों का मानदेय अपने स्तर से DBT के माध्यम से प्रशिक्षार्थी के खाते में किया जाएगा |

19/8/19

Scanned by CamScanner

5- प्रशिक्षणदायी संस्था को भुगतान :

(1) प्रशिक्षण प्रदान करने वाली संस्था को प्रशिक्षण शुल्क के रूप में प्रति प्रशिक्षार्थी प्रति दिन रु० 700 /- की सीमा तक वास्तविक व्यय का भुगतान किया जाएगा जिसमें प्रशिक्षक, प्रशिक्षण स्थल, प्रशिक्षार्थी के रहने का प्रबंध एवं प्रमाण-पत्र आदि का व्यय सम्मिलित होगा | प्रशिक्षार्थी के खान-पान पर प्रति प्रशिक्षार्थी प्रति दिन रु० 300/- की सीमा तक का वास्तविक व्यय किया जाएगा | उक्त के अतिरिक्त प्रमाणीकरण पर आने वाले व्यय का भगतान भी निदेशालय द्वारा प्रशिक्षणदायी संस्था को किया जाएगा | प्रशिक्षणदायी संस्था द्वारा प्रमाणीकरण होने के पश्चात उक्त धनराशी प्रमाणीकरण संस्था के स्थानांतरित की जायेगी |

(2) प्रशिक्षणदायी संस्था को कुल देय धनराशी का 50% भुगतान प्रशिक्षण प्रारम्भ होने पर एवं अवशेष 50% भुगतान प्रशिक्षण की संतोषजनक समाप्ति पर किया जाएगा | सम्बंधित जनपद के उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग केंद्र द्वारा प्रशिक्षण के संतोषजनक संपादित होने की स्थिति को प्रमाणीकृत किया जाएगा एवं उक्त के सम्बन्ध में ODOP प्रकोष्ठ को सूचित किया जाएगा |

6- टूलकिट वितरण :

(1) उपरोक्तानुसार प्रशिक्षण प्राप्त हस्तशिल्पियों/कारीगरों को विभाग द्वारा निशुल्क उन्नत टूलकिट उपलब्ध कराई जायेगी |

(2) टूलकिट के टूल्स एवं मूल्य का अंतिम निर्धारण उपायुक्त उद्योग द्वारा उपलब्ध कराई गयी सूचना के आधार पर आयुक्त एवं निदेशक उद्योग की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया जाएगा | टूलकिट का निर्धारण जनपदवार नहीं अपितु उत्पादवार किया जाएगा

(3) प्रति टूलकिट का मूल्य अधिकतम रु० 20,000/- होगा | टूलकिट का क्रय सम्बंधित जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केंद्र द्वारा किया जाएगा |

(4) टूलकिट का क्रय GeM (Governmente-Marketplace) के माध्यम से किया जाएगा | टूलकिट GeM पर उपलब्ध न होने की स्थिति में संगत वित्तीय नियमों के अंतर्गत क्रय प्रक्रिया संपादित की जायेगी |

(5) धनाभाव के कारण चालू वित्तीय वर्ष में प्रशिक्षित व्यक्ति को टूल किट न मिलने की स्थिति में आगामी वित्तीय वर्ष में ऐसे प्रशिक्षित व्यक्ति को प्राथमिकता के आधार पर टूल किट प्रदान किया जाएगा |

19/8/19

Scanned by CamScanner

7- विविध :

(1) बजट की उपलब्धता के आधार पर आयुक्त एवं निदेशक उद्योग द्वारा जनपदवार लक्ष्यों का निर्धारण किया जाएगा | आवश्यकता पड़ने पर अंतर्जनपदीय लक्ष्यों का पुनर्निर्धारण भी किया जा सकेगा |

(2) प्रत्येक जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केंद्र द्वारा इस हेतु सार्वजनिक प्रेस विज्ञप्ति निकाली जायेगी एवं प्रचार-प्रसार किया जाएगा |

(3) प्रत्येक प्रशिक्षण एवं टूल किट वितरण कार्यक्रम का समस्त विवरण यथा – फोटोग्राफ, प्रतिभागियों की संख्या, उपस्थिति की स्थिति आदि रिकॉर्ड के रूप में सम्बंधित जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केंद्र में संरक्षित किया जाएगा |

(4) प्रशिक्षणदायी संस्था को उपस्थिति पंजिका एवं 7 (3) में अंकित सभी अभिलेख रक्षित करने होंगे एवं प्रशिक्षण समाप्ति पर जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केंद्र को उपलब्ध करानी होगी |

19/8/19

19/8/19

Scanned by CamScanner